

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

क्रमांक : 261

दिनांक : 13-06-2017

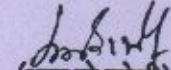
श्रीमान् उप वन संरक्षक,
बारां।

विषय :- जिला बारां में आई.डी.एफ. योजना के तहत गरडा से जैसवा तक
सड़क निर्माण हेतु 3.98 है. वनभूमि का प्रत्यावर्तन बिना वृक्षों के पातन
की अनुमति हेतु। (प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/6991/2014)

प्रसंग :- श्रीमान् अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी
एफसीए, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ14()2014/बारां
रोड्स/एफसीए/प्रमुवसं/1737-38 दिनांक 07.06.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना में शर्त
सं. 4, 5, 6, 7 एवं 8 के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण की अण्डरटेकिंग पालना रिपोर्ट आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।


(आर.के.सोनी)

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

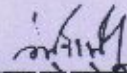
क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Garda to Jaiswan RIDF
Proposal No. FP/RJ/Road/6991/2014 (3.98 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बड़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।


(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

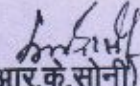
क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Garda to Jaiswan RIDF
Proposal No. FP/RJ/Road/6991/2014 (3.98 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4 फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक Backword and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।


(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

क्रमांक :

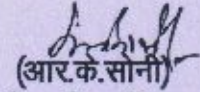
दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Garda to Jaiswan RIDF

Proposal No. FP/RJ/Road/6991/2014 (3.98 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना उपवन संरक्षक द्वारा स्वीकृत करा कर उपवन संरक्षक (केन्द्रीय) के कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिये आवश्यक धन राशि उपलब्ध करायेगा।


(आर.के.सोनी)

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

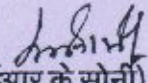
क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Garda to Jaiswan RIDF
Proposal No. FP/RJ/Road/6991/2014 (3.98 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।


(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

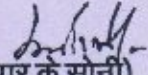
क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Garda to Jaiswan RIDF
Proposal No. FP/RJ/Road/6991/2014 (3.98 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।


(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

क्रमांक : 531

दिनांक : 30.8.17

श्रीमान उपवन संरक्षक,
बारां।

विषय:- जनपद बारां में आर.आई.डी.एफ. योजना के तहत गरडा से जैसवा तक सड़क निर्माण हेतु 3.98 है. वन भूमि का प्रत्यावर्तन बिना वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु ।

संदर्भ :- प्रस्ताव सं. FP/RJ/ROAD/6991/2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में 3.98 है. हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति श्रीमान उप वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्र क्रमांक सं.8 बी/राज/06/09/2015/एफ.सी./1413 दिनांक 11.02.16 द्वारा जारी की गई। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना निम्नानुसार प्रेषित हैं-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
2. शर्त सं. 2 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 580782/- दिनांक 10.10.2016 को जमा करवा दी गई है। (प्रति संलग्न है।)

वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि का जिला कलक्टर बारां के आदेश क्रमांक एफ4(5)(30)राजस्व/2014/720-26 दिनांक 07.02.2017 द्वारा वन विभाग को आवंटित कर दी गई है। (प्रति संलग्न है)

3. शर्त सं. 3 के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रु. 2491480/- दिनांक 10.10.2016 को जमा करवा दी गई है। (प्रति संलग्न है)
4. एन.पी.वी. की दरों बढ़ोतरी होने पर बढ़ी हुई राशि का भुगतान निर्माण विभाग द्वारा किया जावेगा।
5. शर्त सं. 5 के अनुसार प्रस्तावित वन क्षेत्र का 4 फीट ऊंचे आर.सी.सी. पिल्लरों द्वारा सीमांकन कर दिया जावेगा एवं आवश्यक सूचना अंकित कर दी जावेगी।
6. शर्त सं. 6 के अनुसार मक डिस्पोजल योजना बनाकर उपवन संरक्षक से स्वीकृत कराकर सक्षम अधिकारी को प्रेषित कर दी जावेगी।
7. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में आवश्यक वृक्षारोपण कर दिया जावेगा।

8. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 के अनुसार प्रयोगता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

अनुपालना रिपोर्ट प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(आर.के. सोनी)

अधिशायी अभियन्ता

सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

दिनांक : 30-8-17

क्रमांक : 531

प्रतिलिपि श्रीमान् अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(आर.के. सोनी)

अधिशायी अभियन्ता

सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

AGENCY COPY

Challan for collection of Arrear CASPA fund

Date: 01-03-2016

Client Code	CAMSCE
Location	RAJASTHAN
Remitter Name	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Remitter Address No.	ROAD 9912014204
Address	Office of the Executive Engineer PWD Division Shah Bazar
Remitter Contact No.	
Email Id.	pwd_shahabad@rediffmail.com
Mobile No.	9414442171
Landline No.	7460-262300
Amount (in Ru.)	3072252/-
Beneficiary Branch and Code	FCS Branch (0633)
Amount in Words: Thirty Lakh Seventy Two Thousand Two Hundred and Fifty Two Rupees Only	
Bank Signature	Bank Officer Signature
Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

BANK COPY

Challan for collection of Arrear CASPA fund

Date: 01-03-2016

Client Code	CAMSCE
Location	RAJASTHAN
Remitter Name	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Remitter Address No.	ROAD 9912014204
Address	Office of the Executive Engineer PWD Division Shah Bazar
Remitter Contact No.	
Email Id.	pwd_shahabad@rediffmail.com
Mobile No.	9414442171
Landline No.	7460-262300
Amount (in Ru.)	3072252/-
Beneficiary Branch and Code	FCS Branch (0633)
Amount in Words: Thirty Lakh Seventy Two Thousand Two Hundred and Fifty Two Rupees Only	
Bank Signature	Bank Officer Signature
Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

BANK COPY

Challan for collection of Arrear CASPA fund

Date: 01-03-2016

Client Code	CAMSCE
Location	RAJASTHAN
Remitter Name	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Remitter Address No.	ROAD 9912014204
Address	Office of the Executive Engineer PWD Division Shah Bazar
Remitter Contact No.	
Email Id.	pwd_shahabad@rediffmail.com
Mobile No.	9414442171
Landline No.	7460-262300
Amount (in Ru.)	3072252/-
Beneficiary Branch and Code	FCS Branch (0633)
Amount in Words: Thirty Lakh Seventy Two Thousand Two Hundred and Fifty Two Rupees Only	
Bank Signature	Bank Officer Signature
Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

Land to be allotted to Forest Department

21/09/15

PWD circle Baran

As on 11.09.2014

S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (in hectare)	Remark
1	2	3	4	5	6	18
Old Cases						
1	Chhabra	Chhabarod	PMGSY	पाटरी से भटगाव		
2	Shahbad	Shahbad	PMGSY	गामोनी से मोहनपुर	1.50	
				योग	2.60	
					4.10	
New Cases						
1	Chhabra	Chhabra	5054 / RURAL ROAD	हिगलोट से मदनखेरी बाया हरिपुरा	3.00	
2	Chhabra	Chhabra	5054/ SHW	कोटा धरनादवा जड़क	13.58	
3	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	खतवा से खली	0.61	
4	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	कदीली से लाटखेड़ा ✓	3.20	
5	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	माधोपुरा से जौतपुरा ✓	4.00	
6	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	डिकोनिया से तलावडा ✓	7.50	
7	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	नेहलपुरा से शिरी ✓	4.00	
8	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	दिगी से रामपुर उपरेटी ✓	2.50	
9	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	एन.एच-76 किमी. 573/0 से हुजा ✓	2.50	
10	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	राजपुर से बरारा ✓	0.55	
11	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVII (Missing Link)	गरडा से जैसवा ✓	4.00	
12	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVII (RSAMB)	कस्बाथाना से भमनगाँवा ✓	5.20	
13	Shahbad	Shahbad	RRSMP	उनी केदारकुई से गिलौरा ✓	3.00	
14	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	छायावडा से हरिपुरा ✓	1.00	
15	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	जलवाडा से किरानपुरा ✓	3.00	
16	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	गोरधनपुरा से घट्टा ✓	0.50	
17	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	खण्डेला से हलावनी ✓	2.00	
18	Shahbad	Shahbad	RRSMP	बीलखेड़ा डांग से नाटन ✓	1.00	
19	Shahbad	Shahbad	RRSMP	केदारकुई से नुहाल ✓	7.00	
20	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	भवरगड से रनवासी ✓	2.50	
21	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रनवासी से रनवासी ✓	0.80	
22	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	गोरधनपुरा से कालीमाटी ✓	3.00	
23	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	सामगाड काला पट्टा सडक किमी 2/500 से करवाला लक्ष्मीपुरा ✓	2.00	
24	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	करवरी खुर्द से बागनदेह ✓	4.20	
25	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	लकडाई से मामली बाया दुर्जनपुरा ✓	1.00	
26	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	गामली लक्ष्मीपुरा पटपडी सडक ✓	3.00	
27	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	राजपुर मुण्डियर सडक (सामपुर उपरेटी) से ईसाटोरी ✓	4.00	
28	NH Division	Atru		कवाई	3.25	

S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (in hectare)	Remark
1	2		3	4	6	18
29	NH Division	Atru		खेडली गाविया	1.02	
30	NH Division	Atru		सिंगनी जागीर	1.21	
31	NH Division	Chipabarod		बरडावदा	0.44	
32	NH Division	Chipabarod		कालना जागीर	1.66	
33	NH Division	Chipabarod		नयापूरा	4.92	
				योग	98.24	
				कुल योग	102.34	

(मुनिल माथुर)
अधीक्षक अभियंता
राज्य विद्युत वृक्ष विभाग

कार्यालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

क्रमांक:- एफ-4(5)(30) राजस्व/2014/ 200-26 दिनांक:- 7 फरवरी, 2017

आदेश :-

अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग दत्त, बारां द्वारा प्रस्तुत की गई सूची के अनुसार विभिन्न योजनाओं के तहत सड़क निर्माण में आने वाली वन भूमि के एवज में 102.34 हे० गैर वन भूमि आरक्षित किये जाने हेतु मांग किये जाने पर उक्त प्रयोजनार्थ तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रस्तावित एवं उप वन संरक्षक, बारां के पत्र क्रमांक 14073 दिनांक 12.09.2014 से प्राप्त सहमति के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ-4(5)(30)राजस्व/2014/5614-20 दिनांक 18.09.2014 से निम्नलिखित भूमियां वन विभाग के नाम आरक्षित (सेट-अपाटी) की गई है।

उप वन संरक्षक, बारां द्वारा पत्र क्रमांक एफ()एफ.सी.ए./उवस/14-15/18782 दिनांक 10.10.2014 से उक्त आरक्षित भूमि को वन विभाग के नाम आवंटन करने की मांग करने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/एफ-4(5)(30)राजस्व/2014/ 8528-29 दिनांक 21.10.2014 से प्रकरण राजकीय स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने पर श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर के पत्रांक : 2(266)राज.-3/14 दिनांक 12.02.15 से प्राप्त राजकीय स्वीकृति के आधार पर निम्नलिखित आरक्षित भूमियों को वन विभाग के नाम आवंटन किया जाता है।

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा न०	रकबा (हे०)	भूमि की किस्म
1	अन्ता	बिलेण्डी	39	13.20	बंजड़
			41	5.00	बंजड़
			42	6.52	बंजड़
			114	5.80	गैर मुमकिन बरडा
			115	9.08	गैर मुमकिन बरडा
			116	7.70	बंजड़
			138	10.81	बंजड़
			149	3.63	बंजड़
			8 किता	62.24	
2		सोरसन	1175	19.76	गैर मुमकिन बरडा
			1173	19.15	गैर मुमकिन बरडा
			2 किता	38.91	
3		ताखा	368	2.25	गैर मुमकिन बरडा
		कुल योग	11 किता	103.40 हे०	

नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दराजद किया जावे।

(डॉ. एस. पी. सिंह)
जिला कलक्टर
बारां

क्रमांक:- एफ-4(5)(30) राजस्व/2014/ 200-26 दिनांक:- 7 फरवरी, 2017
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।।

1. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
2. उप वन संरक्षक, बारां।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग दत्त, बारां।
4. उपखण्ड अधिकारी, अन्ता।
5. तहसीलदार अन्ता को भेजकर लेख है कि आवंटित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दराजद कर पालना भिजवावे।
6. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बारां।
7. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर
बारां